<u>प्रेस नोट जनपद खीरी</u>

दिनाँक 14.11.2022

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः—

थाना भीरा पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर अभियुक्त प्रमोद कुमार पुत्र प्रभु को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 14.11.22 को थाना भीरा पुलिस द्वारा गश्त व चेकिंग के दौरान भीरा नहर के पास से अभियुक्त प्रमोद कुमार पुत्र प्रभु नि0 भानपुर थाना भीरा जनपद खीरी को 01 अवैध देशी तमन्चा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना भीरा पर मु0अ0सं0 624/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय भेजा गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>
प्रमोद कुमार पुत्र प्रभु नि0 भानपुर थाना भीरा जनपद खीरी

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>
1. निरी0 श्री राम नारायण
2. अ0 घनश्याम
3. आ0 विशाल कुमार

<u>थाना मैलानी पुलिस द्वारा, 01 नफर वारंटी अभियुक्त असगर अली पुत्र शौकत को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 14.11.2022 को थाना मैलानी पुलिस द्वारा वाद सं0 3796/16 धारा 26/41/42 एफ एक्ट से संबंधित वारंटी अभियुक्त असगर अली पुत्र शौकत नि0 कुकरा थाना मैलानी जनपद खीरी को गिरफ्तार कर अभियुक्त को मा० न्या0 भेजा गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>
असगर अली पुत्र शौकत नि0 कुकरा थाना मैलानी जनपद खीरी

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>
1. उ0नि0 सुरेशचन्द्र (प्र0चौ0 कुकरा, थाना मैलानी)
2. का0 राजकुमार
3. का0 विपिन कुमार

जनपद खीरी में सड़क सुरक्षा यातायात माह नवंबर 2022 के अंतर्गत की गई कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी यातायात महोदय के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के अंतर्गत तीन सवारी, बिना हेलमेट, बिना बीमा, मॉडिफाई साइलेंसर एवं प्रेशर हॉर्न के वाहन चलाने पर शहर स्थित नौरंगाबाद चौराहा, सौजन्या, गुरु गोविंद सिंह चौक, धर्मशाला पर यातायात के टीएसआई श्री संजीव तोमर आरक्षी यातायात बीवन राज, पंकज वर्मा, सत्य प्रकाश एवं जैनेंद्र शर्मा के साथ चेकिंग की गई एवं आम जनमानस को यातायात नियमों के बारे में म्यूजिक के माध्यम से एवं पंपलेट देकर जानकारी एवं जागरूक किया गया तथा बताया गया कि आए दिन सड़क हादसे होते हैं जिसमें लोगों की जान चली जाती है इसका सबसे प्रमुख कारण यातायात नियमों की जानकारी ना होना या जानकारी होने के बाद भी उसका पालन ना करना है दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें ट्रक, ट्रैक्टर डबल ट्राली पर गन्ना आदि ओवर हाइट कर परिवहन ना करें, वाहन चलाते समय हेलमेट सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें भीड़भाड़ वाले स्थानों पर वाहन को निर्धारित गति में चलाएं नशे की हालत में व मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने से बचें स्टंट बाइकिंग से बचे हैं काली फिल्म, मॉडिफाई साइलेंसर, हूटर, प्रेशर हॉर्न का प्रयोग ना करें गलत दिशा में ना चले इस तरह यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाएं कम होगी तथा लोग सुरक्षित रहेंगे साथ ही रोड के किनारे अपने वाहन आदि ना खड़ा करें, ट्रैक्टर ट्रॉली लोडर पिकअप पर यात्रा न करें।

यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों एवं वाहनों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के तहत 07 बुलेट के मॉडिफाई साइलेंसर को निकलवाया गया व 05 वाहनों के प्रेशर हॉर्न खुलवाया गया, कुल 178 वाहनों का चालान व 02 वाहन सीज किए गए हैं।

थाना धौरहरा पुलिस द्वारा, 12 ग्राम अवैध नशीला पाउडर अल्प्राजोलम बरामद कर अभियुक्त लतीफ पुत्र अनवर को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध मादक पदार्थो की बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना धौरहरा पुलिस द्वारा दिनांक 13.11.22 को अभि0 लतीफ पुत्र अनवर निवासी रामनगर लहबड़ी थाना धौरहरा जनपद खीरी को 12 ग्राम अवैध नशीला पाउडर अल्प्राजोलम के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर विरूद्ध थाना धौरहरा पर मु0अ0सं0 809/22 धारा 8/21/22 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी है।

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा, जुआं खेलते हुए 03 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआं खेलते हुए 03 नफर अभियुक्तों को 52 अदद ताश के पत्तें व कुल 1730/- रुपये नगद बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना मोहम्मदी पर मु0अ0सं0 778/22 धारा 13 जुआ अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

1. थाना खीरी पुलिस द्वारा, अ0सं0 478/22 धारा 376D/313/506 भादवि में वांछित अभियुक्त तोतेराम पुत्र ओमप्रकाश थाना लहरपुर जनपद सीतापुर को गिरफ्तार किया गया।

2. थाना पसगवाँ पुलिस द्वारा, अ0सं0 105/22 धारा 302/201 भादवि में वांछित अभियुक्त मंगत पुत्र राजेश निवासी रकशा थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर को गिरफ्तार किया गया ।

3. थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा, अ0सं0 1924/14 धारा 4/25 A Act में वारण्टी अभियुक्त इदरिश पुत्र नियाज मोहम्मद निवासी बसहामाफी थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
4. थाना धौरहरा पुलिस द्वारा, अ0सं0 701/15 धारा 128 सीआरपीसी में वारण्टी अभियुक्तगण 1. प्रितम पुत्र रामदीन निवासी जटपुरवा व 2. जफूर पुत्र झब्बू निवासी खरवहिया थाना धौरहरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 70 लीटर अवैध शराब बरामद कर 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **70 लीटर अवैध** कच्ची शराब व **01 शराब भट्टी** बरामद कर **06 अभियुक्त** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **06 अभियोग** पंजीकृत किए गए।